RAJYA SABHA

Friday, the 17th March, 1989/26th Phalguna, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*321.[*The Questioners (Shri Ashwani Kumar and Shri Lal K. Advani) were absent. For answers* vide *cols.* 31-34 infra].

*322.[*The Questioner (Shrimati Ratan Kumari) was absent. For answer* vide *cols.* 34-35 infra]

खानों में कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध

*323. **कुमारी सईदा खातून :†**
श्रीमती सत्या बहिन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उनके मंत्रालय के अधीन कितनी खानों में कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) यह प्रतिबन्ध कब से लगा हुआ है और कब तक के लिए इसे लगाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में स्थित खानों में इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

1. सरकार ने इस्पात और खान मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण वाले सरकारी उपक्रमों द्वारा संचालित खानों में कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

†सभा में यह प्रश्न कुमारी सईदा खातून द्वारा पूछा गया।

किन्तु मंत्रालय के कुछ सरकारी उपक्रम आमतौर पर उन क्षेत्रों में नये लोगों को भर्ती न करने का स्वत: संयम बरत रहे हैं, जहां पहले से ही अधिक कार्मिक हैं ?

कुमारी सईदा खातून : माननीय सभापति महोदय, मुद्रा स्फिति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को 3 जनवरी, 1984 को परामर्श दिया गया था कि वे केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां इन आदेशों के जारी होने की तारीख के पहले भर्ती की कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है विद्यमान रिक्तियों को 30 सितंबर 1984 तक न भरें। चूंकि ये उपाय कठिन स्थिति का सामना करने के लिए किए गए थे; अत: यह महसूस किया गया कि किसी भी श्रेणी के पदों को समान्यत: रोक आदेशों में छूट नहीं दी जानी चाहिए तथापि यह निर्णय किया गया कि पदों के भरे जाने पर लगा रोक अनुकंपा आधारों पर, विकलांग व्यक्तियों द्वारा फालतू हुए व्यक्तियों के पुन: नियोजन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों तथा संगत भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार विशुद्ध रूप से पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर लागू नहीं होगी। तो मैं इस मामले में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां इन लोगों की जरूरत है और सौ-सौ सीट खाली हैं, जैसे मेरे बालाघाट जिले में मलाझखंड कॉपर प्लांट है, जो आपको काफी फायदा दे रहा है, बहुत प्रोफिट दे रहा है, वहां से यह खेतरी, राजस्थान को भेजते हैं, लेकिन वहां के लोगों को कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, तो यह क्यों नहीं दी जाती है? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि यह बैन क्यों लगाया गया और कब आप इसको हटाने वाले हैं ?

श्री माखन लाल फोतेदार : सभापति, महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह कहना चाहता हूं कि सन् 1984 के जनवरी माह में यह प्रतिबंध लगाया गया था,

लेकिन अक्तूबर, 1985 में उसको रिलेक्स किया गया और कंपनी को यह अख्तियार दिया गया कि जहां वे जरूरी समझें कंपनी के मुफाद में, वहां वह उन रिक्त स्थानों को पूरा करें। जहां तक मलाझखंड का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां 1827 सेंक्सण्ड स्ट्रेंथ है वर्कमेन की, जिस पर 1692 लोग काम कर रहे हैं और 135 वेकेन्सी वर्कमेन की है और ज्यों-ज्यों काम बढ़ता जाएगा, उस काम के बढ़ने के साथ साथ हम उन रिक्तियों को पूरा करेंगे। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि हाल ही में सरकार ने मलाझखंड की फिजिबिल्टी स्टडी करने के लिए 26 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट सेंकशन किया है और वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के बाद मलाझखंड कापर माइंस को देखा जाएगा कि कैसे बढ़ाया जाए लेकिन इस वक्त हम जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि रिक्त स्थानों को पूरा किया जाय जब भी कंपनी महसूस करेगी, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को अख्तियार है कि वह उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते है।

कुमारी सईदा खातून : महोदय, मेरी सेकन्ड सप्लीमेंटरी यह है कि यह रोक आवधिक प्रतिनियुक्ति के आधार पर धारित पदों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की बदली के कारण होने वाली रिक्तियों तथा भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों पर भी लागू नहीं होती बशर्ते कि मूल विभाग/संवर्ग की श्रृंखला में इसके परिणामस्वरूप होनेवाली रिक्ति को रोक के उठा जाने तक खाली रखा गया हो। तो माननीय मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि जब तक शासन का बेन इस पर से नहीं हटेगा हम इन रिक्त पदों को नहीं भरेंगे। हम एक लेबर की भी भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि मलाझखंड के लिए आपको इस बेन को खोल देना चाहिए।

श्री माखन लाल फोतेदार : महोदय, मैं माननीय सदस्या जी से बिल्कुल पुरजोर अल्फाज में यह फिर कहना चाहता हूं कि कोई पाबंदी नहीं है और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को यह अख्तियार है कि अगर वह इन रिक्तियों की पूर्ति करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी तरफ से उनको कोई आदेश नहीं है कि इन वैकेंसीज को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत होगी तो इन वैकेंसीज को पूरा करने का उन्हें अख्तियार है। वे कर सकते है।

कुमारी सईदा खातून : महोदय, क्योंकि वह माइंस आदिवासी क्षेत्र में आती है। वहां के बहुत-से आदिवासी और हरिजन लोगों को छोटी-छोटी नियुक्तियों के लिए दसों बार जाना पड़ता है, परन्तु उन्हें यह कहकर वापिस कर दिया जाता है कि इस पर शासन का बेन है।

श्री सभापति : कोई रोक ही नहीं लगाई है।

श्री माखन लाल फोतेदार : महोदय, माननीय सदस्या जी को मैं कहता हूं कि उन्होंने मेरी कमजोर रग को छेड़ा है। मेरी कमजोर रग है, वैल्फेयर आफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। महोदय, इनका यह कहना है कि इन लोगों को शायद नहीं लिया जा रहा है। महोदय, हमारी सरकार की पालिसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बेहतरी के लिए काम करने की है। मैं माननीय सदस्या जी को कहना चाहता हूं कि मलाझखंड एरिया में इस प्रोजेक्ट में 186 शेड्यूल्ड कास्ट वर्कमेन हैं और 473 शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्कमेन है। 11 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट और 28 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेटस की भर्ती नहीं की जा रही है। मैं सदस्या जी को यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट उस जगह का होगा और स्किल्ड होगा तो वैकेंसी होने पर उसे हम एपाइट कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है।

कुमारी सईदा खातून : आपने भी अभी उत्तर दिया है कि 135 वकेंसीज हैं।?

श्री भंवर लाल पंवार : सभापति महोदय, इस प्रश्न के संदर्भ में राजस्थान के उदयपुर में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भर्ती के लिए यही बैन है और क्या वहां रिक्त पद हैं क्योंकि वहां बहुत पिछड़ापन है ?

श्री माखन लाल फोतेदार : महोदय राजस्थान में हमने हाल ही में जिंक-स्मेल्टर की बुनियाद रखी है । उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है और जहां जरूरत होगी कंपनी को अख्तियार है कि वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकेगी।

SHRI V. NARAYANASAMY: Though the hon. Minister has given a clear answer to the question stating that even though the ban was removed, there was a self-imposed discipline relating to some public sector undertakings, especially in the field of mines and steel, right from 1985 till 1989, most of the personnel have retired. Besides some transfers have taken place from one department to the other. Naturally, when we go through those records, we can see that there is a shortage of hands in various departments, including in the Department of Steel and Mines. Therefore I would like to know from the hon. Minister, though there is a self-imposed ban, which has been imposed by a particular public sector undertaking, whether the Minister will order a review. Because of four years of self-imposed ban there, no new recruitment has taken place and those persons who have retired, there is no replacement of them by way of new recruitment or promotion. Therefore, I would like to know if the hon. Minister will order a review in the public sector undertakings wherein there is a self-imposed-ban.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: The hon. Members has not given any specific instance to show that certain categories of vacancies have not been filled. Suppose a vacancy, that of a driver, occurs. A person who is not a driver cannot be appointed as a driver. Naturally, that vacancy has to be filled and a new driver has to be appointed. Similarly, skilled job is there. Only a person who is skilled in that particular job can be appointed there. It is a self-imposed ban. We have not issued any intructions to the companies not to make recruitments. It is the discretion of the company to increase the productivity and to increase the profitability and to see how labour can be suitably adjusted and re-deployed within the company.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 324.

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटिल : सर, आज राइट साइड नहीं है, तो लैफ्ट साइड देखने में क्या हर्ज है? . . (व्यवधान) . .

श्री सभापति : हमारा वह लेफ्ट साइड है। You are on the right side.

SHRIMATI SURYAKANTA JAYAWANTRAO PATIL: Yes, that is what I am telling, Sir.

SHRI A. G. KULKARNI: Chairman is a leftist. He is not a rightist.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I am representing the entire Opposition, Sir.

AN HON. MEMBER: He is seeing only towards the right today.

MR. CHAIRMAN: He monopolises the Opposition. Q. No. 324.

Families covered by the Public Distribution System

*324. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the approximate number of families presently covered by the Public Distribution System in the country;

(b) what is the amount spent on subsidising the essential commodities under the Public Distribution System; and